न्यायालय वरिष्ठ सिविल जज, रूड़की, जिला हरिद्वार।

मूलवाद संख्या–239 / 2022

शेर सिंह बनाम श्रीमती बेबी आदि

दिनांकः 09.08.2023–

पत्रावली पेश हुई। वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री मन मोहन, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री महक सिंह सैनी एवं प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री कमलेश कुमार को प्रार्थना पत्र संख्या 26क1 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता एवं आपत्ति संख्या 28ग2 पर पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज संख्या 26क1 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सिविल प्रकिया संहिता एवं आपत्ति संख्या 28ग2

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से प्रार्थना पत्र संख्या 26क1 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता प्रस्तुत कर कथन किया है कि उपरोक्त वाद में न्यायालय द्वारा दिनांक 14.03.2023 को प्रतिवादी संख्या 3 की अनुपस्थिति के कारण उपरोक्त वाद की कार्यवाही उसके विरूद्ध एक पक्षीय रूप से अग्रसारित कर दी गई थी। प्रतिवादी संख्या 3 एक वृद्ध व्यक्ति है तथा अक्सर बीमार रहता है तथा वह भूलवश यही समझता रहा कि उसने अपना जवाबदावा दाखिल करा दिया है। परन्तु एक अन्य वाद नरेश बनाम शेर सिंह जो न्यायालय वरिष्ठ सिविल जज, रूड़की के समक्ष विचाराधीन है, की पैरवी हेतु दिनांक 27.02.2023 को अधिवक्ता के पास आया था तो उसके अधिवक्ता द्वारा ई–कोर्ट एप पर देखकर जानकारी दी कि प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध उपरोक्त वाद भी दाखिल किया है, जिसमें जवाबदावा दाखिल करना चाहिए और उक्त वाद में दिनांक 14.03.2023 नियत है। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अपना जवाबदावा तैयार कराकर सुबह करीब 11 बजे वादी के अधिवक्ता मन मोहन सिंह एडवोकेट रूड़की को जवाबदावा की प्रतिलिपि रिसीव करा दी थी तथा जवाबदावा न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था। परन्तु प्रतिवादी संख्या 3 को न्यायालय से दिनांक 14.03.2023 को ही जानकारी हुई कि वाद की कार्यवाही उसके विरूद्ध दिनांक 01.03.2023 को एक–पक्षीय रूप से अग्रसारित कर दी गई है। प्रतिवादी संख्या 3 के उक्त वाद में महत्वपूर्ण हक हकूक निहित हैं तथा एक–पक्षीय आदेश दिनांक 01.03.2023 के कायम रहने से प्रतिवादी संख्या 3 को अपूर्णीय क्षति है। अतः प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा आदेश दिनांकित

01.03.2023 को निरस्त किये जाने, सुनवाई का अवसर दिये जाने व मूल वाद को गुणदोष के आधार पर निस्तारित किये जाने की प्रार्थना की गई है।

वादी द्वारा आपत्ति संख्या 28ग2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रतिवादी के द्वारा प्रार्थना पत्र में उपस्थिति ना होने की बाबत कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उपरोक्त कारणों से प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 01.03.2023 को प्रतिवादी संख्या 3 की अनुपस्थिति के दृष्टिगत उसके विरूद्ध वाद की कार्यवाही एक–पक्षीय रूप से अग्रसारित किये जाने के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 01.03.2023 को अपनी अनुपस्थिति का कारण उसका वृद्ध व्यक्ति होना, अक्सर बीमार होना, भूलवश समझना कि उसने अपना जवाबदावा दाखिल कर दिया गया होना तथा न्यायालय से दिनांक 14.03.2023 को एकपक्षीय आदेश दिनांकित 01.03.2023 की जानकारी होना दर्शाया गया है। प्रतिवादी संख्या 3 का उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं के शपथ पत्र कागज संख्या 27ग2 से समर्थित है। न्यायालय के मत में प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अपनी अनुपस्थिति के सम्बन्ध में पर्याप्त कारण दर्शित किया गया है। विधि का यह सिद्धान्त है कि किसी भी वाद का निस्तारण दोनों पक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य का पूर्ण अवसर प्रदान किये जाने के उपरांत ही गुण–दोष के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः प्रतिवादी संख्या 3 का प्रार्थना पत्र 26क1 न्यायहित में हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

–आदेश–

प्रतिवादी संख्या 3 का प्रार्थना पत्र 26क1 मु0 500/– **(पांच सौ रूपये)** हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा हर्जा अदायगी के उपरांत उसके विरूद्ध पारित एक–पक्षीय आदेश दिनांकित 01.03.2023 अपास्त किया जाता है। तदनुसार आपत्ति संख्या 28ग2 निस्तारित की जाती है।

पत्रावली वास्ते जवाबदावा/वाद बिन्दू दिनांक 19.09.2023 को पेश हो।

(राजीव धवन)
वरिष्ठ सिविल जज
रूडकी जिला हरिद्वार।